संख्या- 61/2021/562/71-1002(002)/3/2021

प्रेषक

एस0 पी0 सिंह,
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ: दिनॉक 19 मार्च, 2021

विषय:- वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूं हेतु मानक मद-21-छात्रवृत्तियॉ और छात्रवेतन तथा 58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एमई/बजट/2020-21/37, दिनॉक 28-01-2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में डा0 राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, गोमती नगर, लखनऊ में मानक मद-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) में रू0 200.00 लाख की बचत को मेडिकल कालेज, बदायूं में मानक मद-21-छात्रवृत्तियॉ और छात्रवेतन में रू0 100.00 लाख तथा मानक मद-58-आउटसोर्सिंग सेवाओं के भुगतान हेतु रू0 100.00 लाख कुल रू0 200.00 लाख (रू0 दो करोड़ मात्र) पुनर्विनियोग कर व्यय किये जाने की स्वीकृति राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है।

2- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 24.03.2020 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 24.03.2020 एवं शासनादेश दिनॉक 11.04.2020, 18.05.2020 तथा 29.09.2020 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- जिस मद से धनराशि संक्रमित की जा रही हे, में बचत की उपलब्धता का दायित्व महानिदेशक का होगा।

6- जिस मद से धनराशि संक्रमित की जा रही है, में चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

7- जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसका उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में कर लिया जायेगा।

8- स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0 अथवा बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।

9- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन वेतनादि सुसंगत लेखाशीर्षक के नामे डाला जायेगा तथा संलग्न बी0एम0-9(1) के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक में हो रही बचतों से वहन किया जायेगा।

10- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-379/दस-2021, दिनॉक 16 मार्च, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव।

संख्या:- 61/2021 SC2 (1)/71-1-2021 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूं।
4- वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूं।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, बदायूं।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रपत्र-9(I) (संदर्भः बजट मैनुअल का प्रस्तर-158) (इस पत्र को भरने से पूर्व पीछे छपे अनुदेशों को भली-भाँति देख लिया जाये)

अनुदान संख्या-31-चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण		वित्तीय वर्ष 2020-21		प्रपत्र-बी0एम0-9	(रू0 लाख में)
निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्ष (15 डिजिट में) राजस्व	आवेदन पत्र देने के दि0 उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	आवेदन पत्र देने के दि0 पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-03-शिक्षा-					
25-डा0 राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्सेज, गोमती नगर, लखनऊ-			200.00	200.00	22300.00
31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)	22500.00	550.00	550.00	550.00	21950.00
योग-	22500.00	550.00	550.00	550.00	21950.00

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण			200.00	वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्ष (15 डिजिट में) राजस्व	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8 + 11)
7	8	9	10	11	12
2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-03-शिक्षा-					
74- मेडिकल कालेज, बदायूँ-		595.00	100.00	100.00	595.00
21-छात्रवृत्तियों और छात्रवेतन-	495.00	845.00	350.00	350.00	845.00
58-आउटसोर्सिंग सेवाओं के भुगतान हेतु-	440.00	640.00	200.00 100.00	200.00 100.00	640.00 540.00
योग-	935.00	1485.00	550.00	550.00	1485.00 1135.00

1- स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:- 1135.00 200.00 200.00

वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में मानक मद-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) के अन्तर्गत डा0 राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, गोमती नगर, लखनऊ में रू0 550.00 लाख की बचत संभावित है।

2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है:-

प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, बदायूँ के पत्र संख्या-1622/बजट/रा0मे0का0ब0/2020-21, दिनाँक 12.01.2021 ने अपने मांग पत्र द्वारा अवगत कराया है कि मेडिकल कालेज एवं सम्बद्ध चिकित्सालय में मानक मद-21-छात्रवृत्तियों और छात्रवेतन में रू0 350.00 लाख एवं मानक मद-58-आउटसोर्सिंग सेवाओं के भुगतान हेतु रू0 200.00 लाख कुल रू0 550.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है। 100.00 200.00

3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 एवं 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लघंन नहीं होता है।

संख्या- 549 दिनांक: 16 मार्च, 2021
सेवा में- ई-3-379/CS-2021
महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव
चिकित्सा शिक्षा विभाग

(पवित्र कुमार)
संयुक्त सचिव
वित्त विभाग

संख्या- 61/2021/562/71-1-2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः-

1- संबंधित विभागाध्यक्ष (नियंत्रक अधिकारी)
2- कोषाधिकारी, बदायूँ।
3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (तीन प्रतियों में)
5- गार्ड फाइल।

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव